

**बिहार सरकार**  
**श्रम संसाधन विभाग**  
**निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।**

**कार्यालय आदेश**

का0आ0सं0-1/स्थाप (क्षे0)-नियुक्ति-02/2013- 67

पटना, दिनांक- 24.8.17

निदेशालय नियोजन के पत्रांक 780 दिनांक 22.07.2010 द्वारा कनीय सांख्यिकी सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु की गई अध्याचना के आलोक में बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-बि0क0च0आ0-प्र03/परीक्षा-60/2016-13-14/आ0 दिनांक 23.06.17, द्वारा एल0पी0ए0 संख्या-1021/2016 अनुराग एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-04.10.2016 को पारित न्यायादेश के निदेश के आलोक में श्री अनुराग का श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधीन कनीय सांख्यिकी सहायक (अराजपत्रित) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्रेषित की गई। अनुशंसित अभ्यर्थी श्री अनुराग निदेशालय पत्रांक-774 दिनांक 08.08.2017 के आलोक में दिनांक 17.08.2017 को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काउन्सिलिंग (Counselling) में उपस्थित हुये। उन्हें कनीय सांख्यिकी सहायक (वेतनमान् लेवल-6, इन्ट्री पे0-₹35400) के पद पर कॉलम-07 में अंकित कार्यालय में योगदान हेतु नियुक्त किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जिला	बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अनुक्रमांक	आरक्षण कोटि	पदस्थापन कार्यालय जहाँ योगदान देना है।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री अनुराग पिता-श्री प्रमोद कुमार वर्मा, तक्कीचक कॉलोनी, शालेहपुर रोड, पो0-मिरजानहट, थाना-हवीबपुर, जिला-भागलपुर, पिन-812005	30.11.1983	भागलपुर	10230017	सामान्य	निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना।

- योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज नहीं लेने देने संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पदस्थापित स्थान पर आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर योगदान करना होगा तथा योगदान देने हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- यह नियुक्ति आपके द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मानकर औपबंधिक रूप से की जा रही है। भविष्य में त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर आपकी सेवायें समाप्त कर दी जाएगी और वेतनादि के मद में भुगतान की गई राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलाया जाएगा।
- सभी संबंधितों को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रथम योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
- नवनियुक्त कर्मचारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प संख्या-2469 दिनांक 17.11.2006) प्रभावी/लागू होगा।
- इनकी आपसी वरीयता बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षाफल के मेधा क्रम के आधार पर निर्धारित होगी।
- कनीय सांख्यिकी सहायक की नियुक्ति से संबंधित आदेश श्रम संसाधन विभाग बेबसाईट [www.labour.bih.nic.in](http://www.labour.bih.nic.in) पर उपलब्ध है।
- प्रस्ताव में निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-  
(मनोज कुमार शर्मा)  
उप निदेशक (नियोजन),  
बिहार, पटना।

(क०प०उ०)

ज्ञापांक:-1/स्थाप (क्षे0)-नियुक्ति-02/2013- 850

पटना, दिनांक-

निबंधित

प्रतिलिपि:- नवनियुक्त कनीय सांख्यिकी सहायक श्री अनुराग पिता-श्री प्रमोद कुमार वर्मा, तक्कीचक कॉलोनी, शालेहपुर रोड, पो0-मिरजानहट, थाना-हवीबपुर, जिला-भागलपुर, पिन-812005 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप निदेशक (नियोजन),  
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप निदेशक (नियोजन),  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-1/स्थाप (क्षे0)-नियुक्ति-02/2013- 850

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना को उनके पत्रांक-बि0क0च0आ0-प्र03/परीक्षा-60/2016-1314/आ0 दिनांक 23.06.17 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप निदेशक (नियोजन),  
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:- श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के आप्त सचिव/सभी उप निदेशक (मुख्यालय सहित)/सभी सहायक निदेशक/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/सभी नियोजन पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, मुख्यालय स्थापना, निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप निदेशक (नियोजन),  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 1/स्थाप (क्षे0)-नियुक्ति-02/2013- 850

प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक- 24.8.17

ह0/-

उप निदेशक (नियोजन),  
बिहार, पटना।